खोह नागोरियान अग्निकांडः अवैध पटाखा नेटवर्क के चेहरे बेनकाब

जयपुर। खोह नागोरियान क्षेत्र में नौ जून को हुए भीषण अग्निकांड में आठ लोगों की मौत के मामले में पुलिस जांच के दौरान लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। शनिवार को इस अवैध पटाखा कारोबार से जुड़े तीन मुख्य आरोपियों फिरोज, वसीम और अकील की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस के अनुसार ये तीनों अवैध पटाखा फैक्ट्रियों और बारूद कारोबार के प्रमुख संचालक हैं। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

खोह नागोरियान थानाधिकारी प्रकाश विश्नोई ने बताया कि मामले में अलग-अलग तथ्यों के आधार पर दो मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। मुख्य आरोपियों याकूब और कय्यूम को फरार होने में मदद करने के आरोप में सलमान कुरैशी को 12 जून को गिरफ्तार किया गया था, जिससे पूछताछ जारी है। पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं और क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा।

जांच में सामने आया है कि दिल्ली निवासी आलम खान अवैध फैक्ट्री में मैनेजर की भूमिका निभा रहा था। वह अपने सहयोगी आसिफ कुरैशी के साथ पूरे नेटवर्क का संचालन करता था। आरोप है कि दोनों नाबालिग बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को मामूली मजदूरी का लालच देकर बारूद के बीच काम करवाते थे। कई मजदूरों की उम्र 15 से 16 वर्ष बताई जा रही है।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि खोह नागोरियान क्षेत्र की अवैध फैक्ट्रियों में 150 से अधिक लोग कार्यरत थे।

हर गरीब तक पहुंच रहा विकास का उज़ियारा : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने '12 विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के' प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शनिवार को जवाहर कला केंद्र में '12 विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के' प्रदर्शनी का उद्घाटन कर उसका अवलोकन किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 वर्षों में देश में सेवा, गरीब कल्याण, सुशासन के नए मानक स्थापित हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं से अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास की पहुंच सुनिश्चित हुई है तथा इससे करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

उल्लेखनीय है कि प्रदर्शनी में सरकार द्वारा गरीब कल्याण, महिला सशक्तीकरण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा एवं सुशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों को आकर्षक एवं तथ्यपरक स्वरूप में दर्शाया गया है।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, संगठन महामंत्री अजेय कुमार, वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, संगठन महामंत्री अजेय कुमार उपस्थित रहे।

आरजीएचएस घोटाले में एसओजी ने तीन आरोपी को गिरफ्तार किया

फर्जी रिपोर्टों के जरिए सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने का खुलासा

जयपुर। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में करोड़ों रुपये के कथित फर्जीवाड़े की जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने संगठित नेटवर्क से जुड़े तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सरकारी डॉक्टरों, डायग्नोस्टिक सेंटर संचालकों और कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी ओपीडी पर्चियां, अनावश्यक जांचें और फर्जी रिपोर्टों के जरिए सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने का खुलासा हुआ है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की विशेष सतर्कता समिति और विभागीय ऑडिट में सामने आई अनियमितताओं के आधार पर मामला एसओजी को सौंपा गया था। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर एसओजी थाने में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई।

जहां जांच में सामने आया कि सीकर स्थित डॉ. विजय एंड बी लाल डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक दिवंगत डॉ. विजय मूंड ने एस.के. अस्पताल, सीकर के कुछ चिकित्सकों के साथ मिलकर फर्जीवाड़े का जाल बिछाया था। इनमें डॉ. कमल कुमार अग्रवाल उर्फ के.के. अग्रवाल, डॉ. गजराज सिंह, डॉ. सुनील ढ ाका, डॉ. राकेश चौधरी और डॉ. मुकेश वर्मा के नाम सामने आए हैं।

एसओजी के अनुसार डॉक्टरों द्वारा कई मामलों में मरीजों को बिना देखे या केवल कागजों पर परामर्श पर्चियां तैयार की जाती थीं। इन पर्चियों में अनावश्यक जांचें लिखी जाती थीं, जिनके आधार पर फर्जी जांच रिपोर्ट तैयार कर आरजीएचएस पोर्टल पर अपलोड की जाती थीं। बाद में इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर राज्य सरकार से भुगतान उठाकर अवैध लाभ अर्जित किया जाता था।

इस मामले में मुख्य आरोपी लैब संचालक बनवारी लाल उर्फ बी लाल और चिकित्सक डॉ. कमल कुमार अग्रवाल को एसओजी पहले ही 4 मई 2026 को गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

जांच आगे बढ़ ाते हुए एसओजी ने 12 जून को तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें बजरंग सिंह (54) निवासी दादिया, सीकर, अरविंद कुमार शीला (35) निवासी बुगाला, झुंझुनूं, हाल निवासी अंबेडकर नगर, सीकर तथा विक्रम कल्याण (22) निवासी टोडपुरा, झुंझुनूं, हाल निवासी राधाकिशनपुरा, सीकर शामिल हैं।

जांच में सामने आया कि गिरफ्तार कर्मचारी आरजीएचएस लाभार्थियों के कार्ड नंबर एकत्रित करते थे और एस.के. अस्पताल से फर्जी परामर्श पर्चियां बनवाने में सक्रिय भूमिका निभाते थे। इसके बाद डॉक्टरों से जांचें दर्ज करवाई जाती थीं और फर्जी रिपोर्टें तैयार कर आरजीएचएस पोर्टल पर अपलोड की जाती थीं।

शनिवार को तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 16 जून 2026 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। रिमांड अवधि के दौरान एसओजी वित्तीय लेन-देन, फर्जी पर्चियों की प्रक्रिया और पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। महानिरीक्षक एसओजी अजय लांबा, उपमहानिरीक्षक भवन भूषण यादव तथा पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया के सुपरविजन में चल रही जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। एसओजी का कहना है कि मामले में शामिल अन्य डॉक्टरों, लैब संचालकों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम मुकेश सिंह से बदलकर मुकेश सिंह राठौर रख लिया है भविष्य में मुझे मुकेश सिंह राठौर के नाम से ही जाना पहचाना जाए।

मैंने अपना नाम हितेषी से बदलकर हितेषी बागरेचा पुत्री विनोद कुमार जैन रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावें, पता-ए-21 कृष्णा नगर प्रथम, लालकोठी टोंक रोड, जयपुर।

मैं वेद प्रकाश सिंह से बदलकर वेद प्रकाश सिंह सिनसिनवार पुत्र श्री दयाल सिंह निवासी 13/333 मालवीय नगर, जयपुर (राजस्थान) 302017 रख लिया है। मेरे आधारकार्ड 605999381700 अन्य दस्तावेज में भी वेद प्रकाश सिंह सिनसिनवार ही है। दोनों नाम मेरे ही है।

मैं, प्रतीक सचदेवा निवासी डी-86, डी-ब्लॉक, वैशाली नगर, जयपुर-302021 अपनी नाबालिग पुत्री का नाम हर्षिता सचदेवा से बदलकर आयरा सचदेवा घोषित करता हूँ। इस संबंध में दिनांक 11 जून 2026 को शपथपत्र IN-RJ84380991265090Y निष्पादित किया गया है। भविष्य में वह सभी अभिलेखों एवं कार्यो में आयरा सचदेवा के नाम से जानी जाएगी।

I army no. 3182989H Ex NK Amar Chand S/o Bala Ram resident of plot no. 27 Pawan un near Vadji ka Choraha murlipura scheme jaipur that i want to change name of my dependent from SUNITA KUMARI TO SUNITA POONIA vide affidavit dated 1 jun 2026 before sub divisional magistrate Jaipur first Jaipur.

I, Santosh Jindal, S/o Late Laxmi Narain R/o Plot 151 Flat 301 Virasat Tulip Apartment, Mahaveer Nagar, Mansarovar, Jaiur-302020, declare that Santosh Agarwal, and Santosh Jindal are all my names and belong to one and the same person. In future, I shall be officially known only as Santosh Jindal.

I have changed my name from UNIT KUMAR TO PUNIT KUMAR MATHUR for all purposes R/o 94 Narayan vihar Block-R Shringarpura Mansarovar Jaipur.

खोया पाया

मेरा एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड का ID कार्ड नंबर 251014793600736 मालवीय नगर में कहीं गिर गया है। मिलने पर सूचित करें- दीपक कुमार सैनी 7878035712

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि मैं, राकेश कुमार बैरवा, मेरे प्लॉट नं. 46, दर्शन सिटी-4, खेड़ी गोकुलपुरा, सांगानेर (जयपुर) के मूल दस्तावेज (जिसमें पार्वती देवी के नाम की मूल चेन रजिस्ट्री व राकेश कुमार के नाम की अंतिम रजिस्ट्री शामिल है) गुम हो गए हैं (एलआर नं. 3178280/2026)। उक्त दस्तावेजों के आधार पर किया गया कोई भी लेन-देन पूर्णतः अवैध व शून्य होगा। मिलने पर सम्पर्क करें:- 9351190931 पताः ग्राम नानावस, पोस्ट जीवद तहसील- बामनवास (सवाई माधोपुर)

नम्बर मिलाइए
8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जूली की पहलः श्रीनगर में राजस्थान गेस्ट हाउस के लिए भूमि आवंटन का अनुरोध

जयपुर। राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति ने अपने अध्ययन दौरे के दौरान शनिवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम तथा विधानसभा सचिव मनोज कुमार पंडित से शिष्टाचार भेंट की।

समिति के सभापति टीकाराम जूली के नेतृत्व में हुए इस प्रतिनिधिमंडल में समिति सदस्य अर्जुन लाल जीनगर, चंद्रभान सिंह, अनिता भदेल, सुरेश चंद्र धाकड़ एवं विश्वनाथ शामिल थे। इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा सचिवालय के उप सचिव सुशील कुमार शर्मा भी उपस्थित रहे। दोनों विधानसभाओं की समितियों की कार्यप्रणाली, वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में जन लेखा समिति की भूमिका तथा संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की रचनात्मक भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। समिति के सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा की कार्यप्रणाली एवं संसदीय परंपराओं की जानकारी प्राप्त की तथा अनुभवों का आदान-प्रदान किया। समिति के सभापति टीकाराम जूली ने इस अवसर पर श्रीनगर में राजस्थान से आने वाले जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों एवं पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर आने वाले राजस्थान के नागरिकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है ।

जूली ने कहा कि विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के बीच संवाद और अनुभवों का आदान-प्रदान लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर विधानसभा द्वारा अपनाई जा रही संसदीय प्रक्रियाओं एवं व्यवस्थाओं की सराहना भी की।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम ने राजस्थान विधानसभा के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए दोनों राज्यों के बीच संसदीय सहयोग एवं अनुभवों के आदान-प्रदान को लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण बताया।

जन लेखा समिति ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम तथा विधानसभा सचिव मनोज कुमार पंडित से शिष्टाचार भेंट की।

- **जूली ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा द्वारा अपनाई जा रही संसदीय प्रक्रियाओं एवं व्यवस्थाओं की सराहना भी की**

भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ब्रह्मपुरी थाने में धरने पर बैठे

कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर जताई नाराजगी

जयपुर। हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य शनिवार को ब्रह्मपुरी थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। विधायक ने भाजपा कार्यकर्ता राहुल मीणा उर्फ दीपू मीणा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर नाराजगी जताते हुए पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की।जानकारी के अनुसार मामला आमेर रोड स्थित गणेश कॉलोनी में एक मकान पर कथित अवैध कब्जे से जुड़ा है।

इस संबंध में मकान मालिक की शिकायत पर ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राहुल मीणा उर्फ दीपू मीणा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि आरोपी ने कथित रूप से मकान के ताले तोड़कर कब्जा किया था और उसके खिलाफ पहले भी हत्या के प्रयास, अपहरण और रंगदारी मांगने सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।इधर गिरफ्तारी के बाद विधायक बालमुकुंद आचार्य थाने पहुंचे और पुलिस कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तथा किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धरने के दौरान विधायक और पुलिस अधिकारियों के बीच वार्ता का दौर भी चलता रहा।

घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों ने सवाल उठाया है कि यदि पुलिस ने शिकायत और साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की है तो किसी जनप्रतिनिधि द्वारा आरोपी के समर्थन में धरना देना उचित है या नहीं।

वहीं भाजपा समर्थकों का कहना है कि विधायक केवल निष्पक्ष जांच और कार्यकर्ता की बात सुनने की मांग को लेकर थाने पहुंचे हैं।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला न्यायिक प्रक्रिया के तहत दर्ज किया गया है और जांच निष्पक्ष रूप से जारी है। फिलहाल पुलिस और विधायक के बीच बातचीत जारी है तथा मामले के समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं।

सिंधी कैंप बस स्टैंड के सुलभ शौचालय में मिला शव

जयपुर। राजधानी के सबसे व्यस्त सिंधी कैंप बस स्टैंड स्थित सुलभ शौचालय में शनिवार को एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में शव करीब दो दिन पुराना बताया जा रहा है।

शौचालय के भीतर शव पड़े होने के कारण वहां से तेज दुर्गंध आ रही थी। सूचना मिलने पर सिंधी कैंप थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे सुलभ शौचालय के ठेकेदार ने पुलिस को वॉशरूम के भीतर एक व्यक्ति के मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, लेकिन मृतक के पास से कोई पहचान पत्र या मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ।

पतंजलि सिविल सेवा अकादमी ''शंखनाद'' का शुभारंभ

हरिद्वार। पतंजलि ने भारतीय संस्कृति, आधुनिक विज्ञान और राष्ट्रसेवा की भावना से ओत-प्रोत आईएएस, आईपीएस एवं अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों के निर्माण के उद्देश्य से पतंजलि सिविल सेवा अकादमी के शुभारंभ (शंखनाद) की घोषणा की है। यह अभिनव पहल प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं के समन्वय द्वारा भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा प्रदान करेगी।

अकादमी का उद्देश्य केवल सफल प्रशासनिक अधिकारियों का निर्माण करना ही नहीं, बल्कि ऐसे राष्ट्रिनष्ठ नागरिक तैयार करना भी है जो भारत माता की सेवा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानें। इस दिशा में अकादमी एक करोड़ समर्पित नागरिकों के निर्माण का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है।

योगऋषि स्वामी रामदेव जी ने इस अकादमी को शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और युगांतकारी योगदान बताते हुए कहा कि भारत संविधान से संचालित होता है, लेकिन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन का आधार अधिकारियों का चरित्र होता है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा संसार का सबसे बड़ा रचनात्मक कार्य है क्योंकि यह व्यक्ति के मन, चरित्र और नेतृत्व का निर्माण करती है। अकादमी में "त्रि-शिक्षा" मॉडल अपनाया जाएगा, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान, प्रशासनिक उत्कृष्टता और शैक्षिणक कठोरता का समन्वय होगा। यह मॉडल ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की त्रिवेणी की तरह कार्य करेगा। अकादमी का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरूप "विरासत और विज्ञान" तथा "बोधि और शोध" के सिद्धांतों पर आधारित होगा। साथ ही योग एवं प्राणायाम के माध्यम से विद्यार्थियों में आत्मबल और मनोबल का विकास किया जाएगा, जो उच्च स्तर के प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक है। पूर्व आईएएस अधिकारी एवं शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय डॉ. एन. पी. सिंह ने कहा कि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था अभी भी औपनिवेशिक सोच से प्रभावित है, जिसका मूल उद्देश्य शासन करना था, सेवा करना नहीं।

उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को "शासक" नहीं बल्कि "ट्रस्टी" अर्थात जनसेवक की भावना से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अकादमी भारतीय संविधान की मूल भावना और भारतीय प्रशासनिक परंपराओं, विशेषकर शुक्रनीति के सिद्धांतों को आत्मसात कर अधिकारियों में कर्तव्यनिष्ठा, संवेदनशीलता और लोककल्याण की भावना विकसित करेगी।

अकादमी का नेतृत्व देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद् एवं सिविल सेवा मार्गदर्शक अवध ओझा करेंगे। पिछले 25 वर्षों में 1000 से अधिक आईएएस एवं आईपीएस अधिकारियों के निर्माण में योगदान देने वाले अवध ओझा अकादमी के प्रारंभिक एक माह के विशेष सत्र में इतिहास एवं प्रेरणा विषय पर मार्गदर्शन देंगे।अवध ओझा ने कहा कि अकादमी का लक्ष्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के विवेक को जागृत करना है।

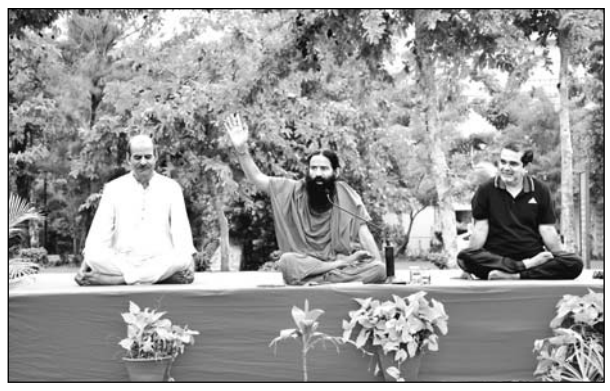

योगऋषि स्वामी रामदेव जी ने पतंजलि सिविल सेवा अकादमी के शुभारंभ (शंखनाद) की घोषणा की।

जुआ खेलते चार जुआरी गिरफ्तार

जयपुर । खोराबीसल थाना पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान में पैसे का दांव लगाकर ताश खेल रहे चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 41 हजार रुपये की जुआ राशि और 52 ताश के पत्ते बरामद किए हैं।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि खोराबीसल थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि किशनपुरा खाल्डा स्थित राधे नगर प्रथम के एक मकान में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां चार व्यक्ति पैसे का दांव लगाकर ताश खेलते हुए पाए गए। पुलिस ने राजवीर प्रजापति (31) निवासी भिंड, मध्य प्रदेश हाल निवासी निवारू जयपुर,राजू बंजारा (27) निवासी निवारू कच्ची बस्ती जयपुर,मुकेश वर्मा (37) निवासी किशनपुरा खाल्डा जयपुर और राजेंद्र वर्मा (24) निवासी गणेश वाटिका जयपुर को गिरफ्तार किया है और साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 41 हजार रुपये नकद तथा 52 ताश के पत्ते बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ राजस्थान पब्लिक गैबलिंग ऑर्डिनेंस (आरपीजीओ) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

इस कार्रवाई में उप निरीक्षक अभिषेक स्वामी, कांस्टेबल रामसिंह, शीशराम, सुरेश, प्रेमचंद, गुरुदयाल, विकास, चालक कांस्टेबल मुकेश, सुनील तथा महिला कांस्टेबल सरिता शामिल रहे।

पत्नी और प्रेमी ने मिलकर पति को मौत के घाट उतारा

जयपुर। शिप्रापथ थाना पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपायुक्त (जयपुर दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया कि त्रिवेणी नगर निवासी महेश जाटव की हत्या के मामले में उसके चाचा मांगीलाल की रिपोर्ट पर शिप्रापथ थाने में हत्या का मामला दर्ज किया।

कार्यालय विकास अधिकारी कम कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति सेवर

क्रमांक-121 दिनांक-12.06.2026

खुली ई-निविदा संख्या 03/2026-27

पंचायत समिति सेवर अधीन घुश्यारी ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मनरेगा व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु अनुभवी एवं पंजीकृत फर्म/संवेदक/सप्लायर्स से दिनांक 31.03.2027 तक के लिये ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in & eproc.rajasthan.gov.in पर 15.06.2026 से 29.06.2026 तक देखी व डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।
NIB NO. ZBH2627A0179, UBN NO. ZBH2627GLOB00339

विकास अधिकारी कम कार्यक्रम अधिकारी
पंचायत समिति सेवर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
साधारण प्रारूप
व्यवहार प्रकिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. (पूर्व) जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर
रामस्वरूप व अन्य विरुद्ध अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति लि. व अन्य
वाद/प्रार्थना पत्र Restoration
प्रार्थना पत्र संख्या 44 सन् 2025
1. नाम अपोलो गृहनिर्माण सहकारी समिति जरिये अध्यक्ष कार्यालय प्लॉट नं. 25 व 25-ए, नारायण निवास दयाल नगर, गोपालपुरा बाईपास जयपुर
2. नाम अपोलो गृहनिर्माण सहकारी समिति जरिये सचिव कार्यालय प्लॉट नं. 25 व 25-ए, नारायण निवास दयाल नगर, गोपालपुरा बाईपास जयपुर
3. नाम भूरा पुत्र स्व. श्री हरदेव आयु 70 वर्ष जाति गुर्जर पता : डी-677, जगदम्बा नगर डी, गिरधारीपुरा, जयपुर
4. नाम घासी पुत्र श्री धोकल आयु 67 वर्ष, जाति गुर्जर, पता : डी-667, जगदम्बा नगर डी, गिरधारीपुरा, जयपुर
5. नाम रामनारायण पुत्र श्री धोकल, आयु 65 वर्ष जाति गुर्जर पता : डी-663, जगदम्बा नगर-डी, गिरधारीपुरा, जयपुर
6. नाम लक्ष्मीनारायण, पुत्र श्री धोकल जाति गुर्जर पता : डी -664 जगदम्बा नगर डी, गिरधारीपुरा, जयपुर
7. नाम मांगी लाल पुत्र श्री धोकल जाति गुर्जर पताः डी-666, जगदम्बा नगर डी, गिरधारीपुरा, जयपुर
8. नाम गोपाल पुत्र श्री धोकल जाति गुर्जर पता : डी 662, जगदम्बा नगर - डी, गिरधारीपुरा, जयपुर
9. नाम : छोटू पुत्र श्री धोकल जाति गुर्जर, पता : डी 665, जगदम्बा नगर डी, गिरधारीपुरा, जयपुर
10. नाम शंकर पुत्र श्री रामनाथ जाति गुर्जर पता : डी 223, जगदम्बा नगर, डी, गिरधारीपुरा, जयपुर

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 03 माह 07 सन् 2026 को प्रातः 10:30 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक् रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हों। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे ता उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। नकल सलग्न नहीं है। यह आज दिनांक 06 माह 06 सन 2026 को मेर हस्ताक्षर से न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से
दिनांक रीडर
मोहर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (पूर्व) जयपुर महानगर प्रथम

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
साधारण प्रारूप
व्यवहार प्रकिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. (पूर्व) जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर
रामस्वरूप व अन्य विरुद्ध अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति लि. व अन्य
वाद/प्रार्थना पत्र Restoration
प्रार्थना पत्र संख्या 43 सन् 2025

1. नाम अपोलो गृहनिर्माण सहकारी समिति जरिये अध्यक्ष कार्यालय प्लॉट नं. 25 व 25-ए, नारायण निवास दयाल नगर, गोपालपुरा बाईपास जयपुर
2. नाम अपोलो गृहनिर्माण सहकारी समिति जरिये सचिव कार्यालय प्लॉट नं. 25 व 25-ए, नारायण निवास दयाल नगर, गोपालपुरा बाईपास जयपुर
3. नाम भूरा पुत्र स्व. श्री हरदेव आयु 70 वर्ष जाति गुर्जर पता : डी-677, जगदम्बा नगर डी, गिरधारीपुरा, जयपुर
4. नाम घासी पुत्र श्री धोकल आयु 67 वर्ष, जाति गुर्जर, पता : डी-667, जगदम्बा नगर डी, गिरधारीपुरा, जयपुर
5. नाम रामनारायण पुत्र श्री धोकल, आयु 65 वर्ष जाति गुर्जर पता : डी-663, जगदम्बा नगर-डी, गिरधारीपुरा, जयपुर
6. नाम लक्ष्मीनारायण, पुत्र श्री धोकल जाति गुर्जर पता : डी -664 जगदम्बा नगर डी, गिरधारीपुरा, जयपुर
7. नाम मांगी लाल पुत्र श्री धोकल जाति गुर्जर पताः डी-666, जगदम्बा नगर डी, गिरधारीपुरा, जयपुर
8. नाम गोपाल पुत्र श्री धोकल जाति गुर्जर पता : डी 662, जगदम्बा नगर - डी, गिरधारीपुरा, जयपुर
9. नाम : छोटू पुत्र श्री धोकल जाति गुर्जर, पता : डी 665, जगदम्बा नगर डी, गिरधारीपुरा, जयपुर
10. नाम शंकर पुत्र श्री रामनाथ जाति गुर्जर पता : डी 223, जगदम्बा नगर, डी, गिरधारीपुरा, जयपुर

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 03 माह 07 सन् 2026 को प्रातः 10:30 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक् रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हों। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे ता उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। नकल सलग्न नहीं है। यह आज दिनांक 06 माह 06 सन 2026 को मेर हस्ताक्षर से न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से
दिनांक रीडर
मोहर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (पूर्व) जयपुर महानगर प्रथम

आम सूचना

मैं दिनेश कुमार पुत्र स्व. चंदा लाल जी उम्र 62 वर्ष निवासी चंद महल गार्डन,सुरुमोरी के पास, आगरा रोड, जयपुर सर्वसाधारण को यह सूचित करता हूँ कि मेरे दो पुत्र श्री लु ब्याडाल एवं नंदन ब्याडाल है, मेरे उक्त दोनो पुत्र मेरे कहने एवं मेरे निर्देशन में नहीं है व पारिवारिक अनुशासन में भी नहीं है। मेरा एवं मेरी पत्नी श्रीमति सुनीता मीना का व अन्य हीतेशजनों का भी मान सम्मान नही रखते है अपनी-अपनी मनमर्जी करते है तथा सत्संग जीवन यापन करते है। चंद महल गार्डन मेरी हुआ निर्मित सम्पति है। उक्त सम्पति का रजीस्टर्ड किया जाना मेरा हक एवं निजी फैसला है अतः मैं दिनेश कुमार मीना उक्त दोनो पुत्रों श्री लु ब्याडाल एवं नंदन ब्याडाल को अपनी उक्त सम्पति चंद महल गार्डन के सम्बन्ध हक हकूक, अधिकार से वंचित करता हूँ/बेदखल करता हूँ। श्री लु ब्याडाल एवं नंदन ब्याडाल पुत्रगण श्री दिनेश कुमार का उक्त सम्पति चंद महल गार्डन में भविष्य में किसी भी प्रकार से कोई सरोकार नही होगा। सर्वसाधारण को यह सूचित हो। मैं स्वयं दिनेश कुमार पुत्र स्व. चन्दा लाल जी व मेरी पत्नि श्रीमति सुनीता मीना मेरे दोनो पुत्रों (लु ब्याडाल व नन्दन ब्याडाल) से यदि कोई किसी भी प्रकार का कोई लेन देन करता है तो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नही होगी।

दिनांक 13.06.2026 दिनेश कुमार

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुस्कित बेटी श्रीमती विद्या वाधवानी पत्नी श्री महेश कुमार वाधवानी, जाति सिन्धी, निवासी 12/693-ए, पीथा हॉस्पिटल के पास, मालवीय नगर, जयपुर-302017 (राज.) एक अवल सम्पति फ्लेट/मकान नम्बर 10/1017 (फर्स्ट फ्लोर), राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान जिसका कुल क्षेत्रफल 44.198 वर्गमीटर है जो कि उक्त फ्लेट सर्वश्रथम श्री नरेन अटवाल पुत्र स्व. श्री बी. हटवाल को रा.आ.म. द्वारा जरिये आवंटन पत्र क्रमांक 172 दिनांक 03.05.2000 के माध्यम से आवंटित किया गया था। जिसका कब्जा पत्र संख्या 934 दिन